



कुर्मी समाज दिल्ली

कार्यालय : H No 33A , जय विहार फेज 3 , नियर इंग्लिश फाउंडेशन स्कूल , नई दिल्ली 10043

पत्र क्रमांक - : DL/001/Sep/2019

दिनांक :- 17/09/2019

चेयरमैन

गोपाल राय / 91-9560043484

अध्यक्ष

आनंद कुमार पटेल / 91-9958320556

महासचिव

अनिल कुमार राय / 91- 9999030941

कोषाध्यक्ष

बी. एम. प्रसाद / 91- 9717434578

उपाध्यक्ष

- शम्भु सिंह / 91- 9899416637
- मुना पटेल / 91- 9868091100
- अभिशंकर राय / 91- 8368439755
- ओम प्रकाश राय / 91- 8920749890
- राजेंद्र पटेल / 91- 9810853573

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

- हरिश्चन्द्र राँय / 91- 8802710919
- लाल देव सिंह / 91- 9871768505

प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी

- सुनील पटेल / 91- 7217743645

सचिव एवं सह-सचिव

- विद्या सागर पटेल / 91- 8003296790
- गजेंद्र राय / 91- 9871304062

संगठन सचिव

- संजीव कुमार / 91-9999127139
- विवेक कुमार राय / 91- 9911452757
- रमेश प्रसाद / 91- 9810611064
- सतीश पटेल / 91- 9958332338
- राज कुमार राय / 91- 9891675737
- सर्जुंग राय / 91- 8802779093
- विनय कुमार / 91- 9910010455
- विकास राय / 91- 9599233329

सेवा में ,

माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार

3rd फ्लोर दिल्ली सचिवालय,

आई0 पी0 ईस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय : पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र हासिल करने में आ रही जटिलताओं के संबंध में।

महाशय,

निवेदन यह है कि दिल्ली में निवास कर रही एक विशाल आबादी सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली पिछड़े वर्ग की सुविधाओं से अब तक वंचित रही है, क्योंकि यहां पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाना इतना जटिल बना दिया गया है जिससे कि एक सामान्य इंसान जो खुद सरकारी आंकड़ों में पिछड़ा हुआ है इसे हासिल नहीं कर सकता।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि कुछ प्रमुख विन्दुओं को जो नीचे क्रमबद्ध अंकित है, दूर कर/दूर कराने का प्रयत्न कर एक विशाल जनसमूह (पिछड़ा वर्ग) को मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

वर्तमान में विद्यमान जटिलताएं जिसे समाप्त करने तथा नियमों को पारदर्शी व सुलभ बनाने की न्यासंगत मांग यह वृहद पिछड़ा वर्ग समाज करता है :-

1. वर्ष 1993 या उससे पूर्व दिल्ली में निवास की अनिवार्यता समाप्त की जाय।
2. दो प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों से सत्यपान की अनिवार्यता समाप्त की जाय।
3. संबंधित विभाग को विशेष कैंप लगाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देशित किया जाय।
4. क्रीमीलेयर की बाध्यता समाप्त की जाय।



कुर्मी समाज दिल्ली

कार्यालय : H No 33A , जय विहार फेज 3 , नियर इंग्लिश फाउंडेशन स्कूल , नई दिल्ली 10043

5. भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है कि जाति बदल नहीं सकती, ऐसी दशा में देश के किसी हिस्से से बने जाति प्रमाण पत्र को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मान्य समझा जाय।
6. जन्म-तिथि की भांति जाति को भी विद्यालय प्रमाण पत्र में अंकित कर इसे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय सेवाओं में मान्य समझा जाय। इससे व्यापक राजस्व व मानवीय संसाधनों की बचत होगी।
7. गलत सूचना देने व गलत तरह से प्रमाण पत्र हासिल करने वाले तथा गलत तरह से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान हो।
8. उपरोक्त मांगों में से जो श्रीमान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है उसे पूरा करते हुए अन्य मांगों को संबंधित वभाग/राज्य सरकार/केंद्र सरकार को अपने स्तर से अग्रसारित कर एक विशाल जनसमूह (पि.वर्ग) को कृतार्थ करें ताकि जरूरतमंद समाज लाभान्वित हो सके।

एक निर्धारित समय सीमा (एक माह) के अन्दर एक न्यायसंगत निदान प्रस्तुत कर आवेदक को सूचित करें। तदोपरान्त पीड़ित समाज अन्य विकल्पों पर निर्णय लेने को स्वतंत्र होगा।

धन्यवाद!

प्राथी !

भवदीय,

आनंद कुमार पटेल

अध्यक्ष, कुर्मी समाज दिल्ली

मोबाइल नंबर : 91-9958320556